उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
माननीय न्यायाधीश श्री आलोक कुमार वर्मा,
दिनांकः 29 मार्च, 2022

राहुल कुमार– **आवेदक**

और

उत्तराखण्ड राज्य– **उत्तरदाता**

प्रथम जमानत आवेदन संख्या 2446/2021

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता–श्री टी0ए0खान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सहयोगी विद्वान अधिवक्ता सुश्री दिव्या जयस्वाल
उत्तरदाता राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री सिद्धार्थ बिष्ट,
सूचना देने वाले के विद्वान अधिवक्ता–श्री डी0सी0एस0 रावत

माननीय आलोक कुमार वर्मा–

जमानत आवेदन संख्या 1901/2021 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0095 के संबंध में नियमित जमानत देने के लिए दायर किया गया है, जो भा.दं.सं. की धारा 304बी, 498ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन जसपुर, जिला उधम सिंह नगर में दर्ज है। जांच पूरी होने के बाद आरोप–पत्र दायर कर दिया गया है और भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत अपराध जोड़ा गया है। इसलिए जमानत आवेदन संख्या 2446/2021, भा.दं.सं. की धारा 306 के तहत नियमित जमानत देने के लिए दायर किया गया है।

2. मृतका के पिता, सूचनादाता बलवीर सिंह ने इस आशय की प्राथमिकी दर्ज की है कि उनकी बेटी की शादी 26.04.2021 को मौजूदा आवेदक–आरोपी राहुल कुमार के साथ की गई थी। शादी के बाद आवेदक ने दहेज की मांग को लेकर मृतका को परेशान करना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जब उक्त मांग पूरी

नहीं की गई, तो मृतका को मौजूदा आवेदक द्वारा परेशान और प्रताड़ित किया गया। 14.05.2021 को मृतका ने अपने पिता को फोन किया और आवेदक द्वारा दहेज की मांग के संबंध में उसके उत्पीड़न की शिकायत की। 15.05.2021 को मृतका की उसके वैवाहिक घर में मृत्यु हो गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन यानी दिनांक 15.05. 2021 को 22.11 बजे पर दर्ज की गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मौत का कारण फांसी पर लटकने के कारण दम घुटना था। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर के बयान के अनुसार, पोस्टमॉर्टम के दौरान आधा पका वाला भोजन मिला। जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी द्वारा अन्तर्गत धारा 304बी, 498ए भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में आरोप पत्र दायर किया गया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री टी0ए0 खान वरिष्ठ अधिवक्ता, सहयोगी दिव्या जयस्वाल एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ बिष्ट एवं सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री डी0सी0एस0 रावत को सुना गया।

4. आवेदक की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टी0ए0 खान ने बताया कि आवेदक को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। मृतका अपनी शादी से खुश नहीं थी, जो 26.04.2021 को हुई थी। उक्त शादी उसकी इच्छा विरूद्ध की गई थी। मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमॉर्टम के दौरान तिरछे' आकार में एक बंधन का निशान पाया गया था, जो संकेत है कि यह आत्महत्या का मामला था। एक पड़ोसी, छिदुन सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि उसने मृतका की दहेज और उत्पीड़न की किसी भी मांग के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं सुनी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मृतका के ससुर सह–आरोपी सुनील कुमार को इस उच्च न्यायालय की समकक्ष पीठ ने जमानत दे दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि छिदुन सिंह के बयान के अनुसार, 14.05.2021 की ससुर, आवेदक का बहनोई और जीजा (मृतका का जीजा) अपनी (छिदुन सिंह) बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उसके घर आया था और उसके बाद ससुर और मौजूदा आवेदक का बहनोई मौजूदा आवेदक के घर गए और

शराब ली।

5. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ बिष्ट एवं सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डी0सी0एस0 रावत ने जमानत आवेदनों का विरोध किया और बताया कि जांच के दौरान, इस आशय के साक्ष्य पाए गए हैं कि विवाह के बाद, आवेदक ने मृतका को दहेज की मांग के लिए बोलेरो जीप के रूप में परेशान और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और जब उक्त मांग पूरी नहीं हुई, तो मृतका को आवेदक द्वारा परेशान और प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उसकी मृत्यु से एक दिन पहले, दिनांक 14.05.2021 को मृतका ने अपने पिता को फोन किया और दहेज की मांग के संबंध में उसके उत्पीड़न की शिकायत की। पोस्टमॉर्टम के दौरान, उसके पेट में आधा पका भोजन पाया गया और उसकी मृत्यु का कारण पूर्व–पोस्टमार्टम लटकने के परिणामस्वरूप दम घुटना था।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता और सूचनाकर्ता ने आगे कहा कि सह–अभियुक्त की जमानत याचिका के निपटारे के दौरान, समकक्ष पीठ ने कहा कि सूचनाकर्ता बलवीर सिंह के अतिरिक्त बयान के अनुसार, मौजूदा आवेदक और मृतका के बीच कोई सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं था।

7. प्रत्येक आपराधिक मामला अपना विशिष्ट तथ्यात्मक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और इसलिए, किसी विशेष मामले के लिए विशिष्ट आधारों को न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। **ज्ञान चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 14 एस. सी. सी. 420** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करता है और एक मामले और दूसरे मामले के बीच निकट समानता पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक महत्वपूर्ण विवरण पूरे पहलू को बदल सकता है।

8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 जमानत के संबंध में बहुत व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है। लेकिन, जमानत देते समय, उच्च न्यायालय अन्य न्यायालयों के समान विचारों द्वारा निर्देशित होता है। अर्थात, अपराध की गंभीरता की साक्ष्य के

स्वरूप और ऐसे अन्य आधारों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

9. **कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन, (2004) 7 एस. सी. सी. 528** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जमानत देने या अस्वीकार करने के संबंध में विधि बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। जमानत देने वाली अदालत को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायसंगत तरीके से करना चाहिए न कि सामान्य तौर पर। यद्यपि जमानत देने के स्तर पर साक्ष्य की विस्तृत जांच और मामले की योग्यता के विस्तृत प्रलेखन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आदेशों में प्रथमदृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कारण इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही है, विशेष रूप से जहां आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप है।

10. **उत्तर प्रदेश राज्य अमरमणि त्रिपाठी, (2005) 8 एस.सी.सी0.21** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जमानत के लिए आवेदन में विचार किए जाने वाले मामले इस प्रकार हैंः (i) यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथमदृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था, (ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता, (iii) दोषसिद्धि की की स्थिति में दंड गंभीरता, (iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा, (v) चरित्र, व्यवहार, साधन, पद और अभियुक्त की स्थिति, (vi) अपराध के दोहराये जाने की संभावना, (vii) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, और (viii) निश्चित रूप से, जमानत प्रदान करके न्यायाधीश को विफल करने का खतरा।

11. यह निर्धारित करने में कि जमानत दी जाए या नहीं, आरोप की गंभीरता और सजा की गंभीरता दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, आदेश में इंगित करने की आवश्यकता है, कोई भी आदेश विवेवहीन कारणों से ग्रस्त होता है। प्रथमदृष्टया विचार करने के कारण प्रथमदृष्टया जमानत क्यों दी जा रही है, विशेष रूप से जहां एक आरोपी पर गंभीर अपराध करने

का आरोप लगाया गया है। **राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य, (2002) 3 एस. सी. सी. 598** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार–किसी भी आदेश में विवेक का प्रयोग न करना है।

12. स्वीकृत रूप से, आवेदक ने 26.04.2021 को मृतका से शादी कर ली और मृतका की 15.05.2021 को अप्राकृतिक परिस्थितियों में उसके वैवाहिक घर में मृत्यु हो गई। जाँच के दौरान मृतका को दहेज की मांग के लिए आवेदक द्वारा उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था, के सबूत पेश किये गये हैं। मौजूदा आवेदक की भूमिका सह–अभियुक्त के बराबर नहीं है, जिसे इस उच्च न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत दी गई है। इस स्तर पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113बी के प्रावधान की उपधारणा आवेदक के खिलाफ आकर्षित करती है। इस स्तर पर साक्ष्य पर गहराई से चर्चा करना अनुचित होगा। इस स्तर पर, साक्ष्य का विस्तृत सराहना मामले की योग्यता को प्रभावित करेगा। लेकिन, जाँच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के अवलोकन से, यह प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि आवेदक इस अपराध में संलिप्त था। आवेदक को फंसाना का कोई कारण नहीं पाया गया है।

13. इसलिए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में कोई बल नहीं है और इस स्तर पर आवेदक को जमानत पर बढ़ाने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाया गया है। जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य हैं। परिणामस्वरूप जमानत याचिकाएं तदनुसार खारिज की जाती हैं।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत आवेदनों के संबंध में की गई टिप्पणियां इन जमानत आवेदनों के निर्णय तक सीमित हैं, इस स्तर पर पक्षों द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों के आलोक में, कि क्या जमानत आवेदनों को मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उक्त टिप्पणियां मामले की सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी।

आलोक कुमार वर्मा, जे.।

9 मार्च, 2022